



{W.P.(S)No.1088/2022}

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1088/2022

आदेश सुरक्षित करने का दिनांक : 21-6-2023

आदेश पारित करने का दिनांक : 31-7-2023

1. देवराज साहू, पिता स्व.माणिक लाल साहू, आयु 40 वर्ष, निवासी- भगवान पारा, पुरानी बस्ती, कुरुद, भिलाई, दुर्ग
2. धनुष साहू, पिता भुवन लाल साहू, आयु 40 वर्ष, निवासी- 169, करसा, पोस्ट औरी, भिलाई 3, दुर्ग
3. अतुल शुक्ला, पिता अश्वनी शुक्ला, आयु 34 वर्ष, निवासी- सड़क 3, गोकुल किराना स्टोर के पास, सुभाष नगर, दुर्ग
4. लोकेन्द्र कुमार, पिता दूज राम, आयु 32 वर्ष, निवासी- ग्राम डोंगी तराई, पोस्ट अचौत, बालोद
5. मोनिका मसीह, पिता स्व.अशोक कुमार मसीह, आयु 28 वर्ष, निवासी- 157, जमुल, भिलाई, दुर्ग
6. सुमित परगनिहा, पिता स्व.मुरली मनोहर परगनिहा, आयु 35 वर्ष, निवासी- मरार पारा, देवदा, पोस्ट हसदा, बेमेतारा, छ.ग.
7. तरण लाल वर्मा, पिता भारत भूषण वर्मा, आयु 39 वर्ष, निवासी- मरौदा सेक्टर, भिलाई, जी-पॉकेट, दुर्ग, छ.ग.
8. दीपो रंधावा, पिता स्वर्ण सिंह, आयु 37 वर्ष, निवासी- कैलाश नगर, आवास बोर्ड, भिलाई, दुर्ग, छ.ग.
9. शीला साहू, पिता कचरु राम, आयु 32 वर्ष, निवासी- गाँव और पोस्ट धोर, दुर्ग
10. अनीता साहू, दामाद धरुव राम, आयु 32 वर्ष, निवासी- कचंदूर, पोस्ट करंजा, भिलाई 490024, दुर्ग, छ.ग.
11. लक्ष्मण लाल साहू, पिता डिंडियाल साहू, आयु 54 वर्ष, निवासी- ईराई कला, पोस्ट बिजेतला, राजनंदगांव

----- याचिकाकर्तागण

{W.P.(S)No.1088/2022}

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- प्रधान सचिव , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.), पिन-492,002
2. चिकित्सा शिक्षा निदेशक, डी. के. एस. भवन परिसर, रायपुर
3. चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल (निजी कंपनी), नेहरू नगर चौक, जी. ई. रोड, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) 490020

----- उत्तरवादीगण

याचिकाकर्तागण की ओर से - श्री संजय सिंघवी, सुश्री रोहिणी त्यागराजन सहित वरिष्ठ अधिवक्ता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुश्री शालिनी गेरा और सुश्री कात्यायनी विष्णुप्रिया, व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ता हैं।

उत्तरवादी क्रमांक 1 व 2/राज्य की ओर से - श्री अमृत दास, अतिरिक्त महाधिवक्ता। उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से - श्री पी. चेतन कुमार, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल एवं**माननीय श्री अरविन्द सिंह चंदेल****सी. ए. वी आदेश****न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल,**

1. याचिकाकर्ता यहां छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, दुर्ग (अधिग्रहण) अधिनियम, 2021 (संक्षेप में, '2021 का अधिनियम') की धारा 12 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना चाहते हैं, जो 3-9-2021 से लागू हुआ था।

2. चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड (सी. सी. एम. एच. प्राइवेट लिमिटेड) एक निजी कंपनी है जिसका स्वत्व और संचालन उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा किया जाता है और उक्त कंपनी दो प्रतिष्ठानों-चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कचंदूर, दुर्ग और मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई, जिला दुर्ग में चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल अस्पताल का संचालन करती है। याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि वे दुर्ग के उक्त मेडिकल कॉलेज के स्थायी कर्मचारी थे कि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया है। जुलाई, 2021 में, राज्य विधानमंडल ने पिछले मालिकों को अत्यधिक मुआवजे का भुगतान करके कचंदूर, दुर्ग में मेडिकल कॉलेज की संपत्ति, भूमि, उपकरण आदि का अधिग्रहण करने के लिए 2021 का अधिनियम पारित किया है और वर्तमान याचिकाकर्ताओं



{W.P.(S)No.1088/2022}

और अन्य श्रमिकों को 2021 के अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों के आधार पर संक्षेप में हटाने की मांग की गई थी। यह भी उनका मामला है कि उन्हें कोई छंटनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था और न ही कानून द्वारा आवश्यक कोई नोटिस दिया गया था और यह माना गया था कि कथित अधिग्रहण से पहले श्रमिकों को देय राशि के लिए पूर्व प्रबंधन जिम्मेदार था। यह भी अनुरोध किया गया कि 2021 के अधिनियम की धारा 12 ने उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया। धारा 12 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि किसी भी कर्मचारी का मेडिकल कॉलेज के नए प्रबंधन के तहत सेवा के लिए कोई दावा नहीं होगा। इसी तरह, धारा 12 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि वे पूर्ववर्ती प्रबंधन अर्थात् उत्तरवादी क्रमांक 3 से अधिग्रहण से पहले प्रदान की गई सेवाओं के लिए किसी भी बकाया का दावा कर सकते हैं। 2021 के अधिनियम में यह कहने का कोई प्रावधान नहीं था कि उनकी सेवाओं को मूल कंपनी के साथ जारी रखा जाएगा। इससे पता चलता है कि इस अधिनियम में इस बात की जानकारी थी कि राज्य सरकार द्वारा दुर्ग के कचंदूर में मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के बाद श्रमिकों का सी. सी. एम. एच. प्राइवेट लिमिटेड में रोजगार का कोई दावा नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं का यह और मामला है कि राज्य आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य है और 2021 के अधिनियम की धारा 12 को अधिकार से बाहर घोषित करने की प्रार्थना की गई है और राज्य सरकार को चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कचंदूर, दुर्ग में याचिकाकर्ताओं को सेवा की निरंतरता के साथ कर्मचारियों के रूप में शामिल करने का निर्देश देने के लिए और राहत की मांग की गई है। यह भी प्रार्थना की गई है कि चूंकि 2021 के अधिनियम की धारा 12 श्रमिकों को उनकी नौकरियों से पूरी तरह से मनमाने तरीके से हटाने का प्रभाव डालती है, इसलिए इसे असंवैधानिक और भारत के संविधान के प्रावधानों के अधिकार से परे माना जाए।

3. राज्य सरकार द्वारा रिट याचिका दायर की गई है। यह दलील दी गई है कि 2021 का अधिनियम अधिकार से बाहर नहीं है और हमेशा संवैधानिकता के पक्ष में एक धारणा है और विधानमंडल के एक अधिनियम को तब तक असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि मामला इतना स्पष्ट न हो कि संदेह से मुक्त हो। यह भी अनुरोध किया गया है कि जब किसी कानून या विधानमंडल के अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाया जाता है और दो व्याख्याएँ होती हैं, जिनमें से एक कानून को वैध और दूसरी को अमान्य बना देती है, तो पहली को दूसरी व्याख्या से बचने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो कानून को अमान्य बनाती है। किसी कानून की संवैधानिक वैधता पर निर्णय देते समय, न्यायालय का संबंध विवेक या अन्यथा, कानून के न्याय या अन्याय से नहीं होता है। यदि विधानमंडल का अधिनियम, जिसे कानून में पारित किया जाता है, किसी विधानमंडल को प्रदत्त शक्ति के दायरे में है और उस शक्ति पर किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है, तो कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए। यह भी दलील दी गई है कि चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था। और 2013 में मेडिकल कॉलेज में 750 बिस्तरों की क्षमता वाले दुर्ग के कचंदूर में अपना संचालन शुरू किया और उक्त अस्पताल को प्रति वर्ष 150 छात्रों को एमबीबीएस के डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति है। उक्त मेडिकल कॉलेज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अर्थात् उत्तरवादी क्रमांक 3 के प्रबंधन के नियंत्रण में था। इसलिए, मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को निजी लिमिटेड कंपनी-उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा जारी उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के साथ नियंत्रित किया गया था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी-उत्तरवादी क्रमांक 3 के प्रबंधन द्वारा राज्य से इस आधार पर उक्त मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया था कि वह मेडिकल कॉलेज का व्यवसाय चलाने में वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है, जिस पर राज्य सरकार ने

{W.P.(S)No.1088/2022}

मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों के साथ-साथ राज्य के नागरिकों के हित में उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा किए गए प्रस्ताव/अनुरोध पर विचार करते हुए, मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने के लिए 2021 का अधिनियम लागू किया, जो वित्तीय बाधाओं के कारण बंद होने के कगार पर था और इसके परिणामस्वरूप, चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कचंदूर, जिला। मेडिकल कॉलेज के बेहतर प्रशासन के लिए अधिनियम में निहित विभिन्न प्रावधानों के आलोक में दुर्ग का अधिग्रहण किया गया था। 2021 के अधिनियम की धारा 12 मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति के बारे में है कि उनका मेडिकल कॉलेज या सरकार के तहत सेवा के लिए कोई दावा नहीं होगा, का कोई दायित्व नहीं होगा। उत्तरवादी क्रमांक 3 में कार्यरत किसी भी व्यक्ति के किसी भी वेतन या किसी अन्य देय राशि के भुगतान के लिए सरकार और वे उत्तरवादी क्रमांक 3 से वसूली कर सकते हैं जो सरकार में निहित होने से पहले मालिक थे। धारा 14 उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद अधिनियम का एक प्रबल प्रभाव देती है। वास्तव में, उत्तरवादी क्रमांक 3 एक निजी लिमिटेड कंपनी है और याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 3 कंपनी के कर्मचारी थे, इस प्रकार, 2021 का अधिनियम भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है और न ही यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, न ही यह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफएफ या किसी अन्य अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है। इसलिए रिट याचिका खारिज की जा सकती है।

4. राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 की ओर से दायर रिटर्न का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रतिवाद दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने 2021 के अधिनियम की धारा 12 को असंवैधानिक घोषित करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का मामला बनाया है, इसलिए धारा 12 को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए।

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय सिंघवी ने कहा कि 2021 के अधिनियम की धारा 12 का प्रभाव श्रमिकों को उनकी नौकरियों से बिल्कुल मनमाने तरीके से हटाने का है। याचिकाकर्ता कभी भी सीसीएमएच प्राइवेट लिमिटेड की किसी अन्य इकाई में कार्यरत नहीं थे, बल्कि मेडिकल कॉलेज, कचंदूर में ही कार्यरत थे और उन्हें बिना किसी सुनवाई के और उनकी कोई गलती न होने पर भी उनकी आजीविका से वंचित किया जा रहा है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि धारा 12 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफएफ का भी उल्लंघन करती है, जिसमें प्रावधान है कि यदि श्रमिकों को सेवा में जारी नहीं रखा जाता है, तो उन्हें नोटिस और मुआवजा दिया जाएगा जैसे कि उन्हें छंटनी की गई हो और विवादित धारा में ऐसा प्रावधान नहीं है, बल्कि उन्हें तुरंत हटाने का प्रावधान है, जिसमें केवल उन बकाया राशियों के लिए प्रावधान किया गया है जो अधिग्रहण से पहले अर्जित हुई हों। 2021 के अधिनियम की धारा 12 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफएफ के प्रतिकूल है और चूंकि राज्य अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए इसे भारत के संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध माना जाना चाहिए। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने गुरुमेल सिंह



और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 1 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया। ऐसे मामले में, राज्य को आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना होगा और उन श्रमिकों की सेवाओं को बनाए रखना होगा, जिनके प्रतिष्ठान को उसने अपने अधीन लिया है, जब तक कि विपरीत दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई ठोस कारण न हों और इसलिए यह स्पष्ट रूप से मनमाना है और इस प्रकार, कानून को स्पष्ट रूप से मनमाना मानते हुए रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य (महिला और बाल विकास मंत्रालय सचिव और अन्य) 2 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून को भी प्रशासनिक कार्रवाई या अधीनस्थ कानून के समान ही तर्कसंगतता के परीक्षण का उत्तर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो इसे स्पष्ट मनमानी के आधार पर रद्द किया जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करेंगे कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39(बी) (भाग IV) का भी उल्लंघन है, क्योंकि 2021 के अधिनियम की धारा 12 श्रमिकों की सेवाओं को तत्काल समाप्त कर देती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 39(बी) की घोर अवहेलना है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्य पूरी तरह से जानता था कि प्रतिवादी नंबर 3 कंपनी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही थी, जो उद्देश्यों और कारणों के विवरण (अनुलग्नक पी-8, पृष्ठ 146) से स्पष्ट है और श्रमिकों का बोझ वहन करने में सक्षम नहीं होगी और वास्तव में, सीसीएमएच प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड दिवालियापन की कार्यवाही का सामना कर रहा था, जबकि विधानमंडल ने जुलाई, 2021 में 2021 के अधिनियम को मंजूरी दे दी थी। ऐसी परिस्थितियों में, श्रमिकों के लिए कोई प्रावधान नहीं करना स्पष्ट रूप से मनमाना है और किसी भी मामले में, राज्य उत्तराधिकारी है, भले ही पूरी कंपनी को नहीं बल्कि केवल परिसंपत्तियों को लिया गया हो और इस प्रकार, उसे निष्पक्ष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है और मनमाने ढंग से नहीं और अखिल भारतीय कोयला कामगार संघ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए श्रमिकों के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अवलंब लिया। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के उद्योग कोलियरी के प्रबंधन के संबंध में नियोक्ता और अन्य 3। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कचांदूर में सीसीएमएच प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना के बाद से लगभग दस वर्षों तक काम करने वाले श्रमिकों को हटाने और फिर उसी पद के लिए नए विज्ञापन जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। आरोपित अधिनियम द्वारा यह देखने का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि क्या कर्मचारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने राज्य के अधीन इसी प्रतिष्ठान में काम किया था जब कोविड-19 के समय में मेडिकल कॉलेज/अस्पताल का अधिग्रहण किया गया था और उनके प्रदर्शन के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई थी। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि 2021 के अधिनियम की धारा 12 मनमाना और अनुचित है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। यदि विधानमंडल का कोई अधिनियम सुनवाई का प्रावधान किए बिना किसी व्यक्ति पर कोई नागरिक परिणाम देता है, तो उस कानून को खराब माना जाना चाहिए। वह ओल्गा टेलिस और अन्य बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और अन्य 4 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करेंगे, जिसमें उनके लॉर्डशिप ने बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 314 की व्याख्या की थी, जिसमें कहा गया था कि म्यूनिसिपल कमिश्नर फुटपाथ पर किसी भी संरचना को "बिना नोटिस" के हटा सकता है, और माना कि अनुचितता कानून और प्रक्रिया दोनों को ही दूषित करेगी और अगर अधिनियम के किसी प्रावधान को किसी व्यक्ति को सुनवाई के बिना उसके मौलिक अधिकार से वंचित करने के आदेश के रूप में पढ़ा जाए, तो उस

{W.P.(S)No.1088/2022}

कानून को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, 2021 के अधिनियम की धारा 12 को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह भारत के संविधान के प्रावधानों के विपरीत है।

6. श्री अमृतो दास, राज्य/उत्तरदाता संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रस्तुत करेंगे कि 2021 के अधिनियम की धारा 12 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि इसने केवल इस स्थिति को स्पष्ट किया है कि अस्पताल के अधिकार, हित, संपत्ति, प्रशासन, नियंत्रण और कब्जा सरकार के पास निहित करने के अनुसार, जो व्यक्ति अस्पताल में कार्यरत थे, उनका राज्य सरकार के साथ सेवा के लिए कोई दावा नहीं होगा, हालांकि, यह स्वामी और सेवक के न्यायिक संबंध में हस्तक्षेप नहीं करता था जो याचिकाकर्ताओं और उत्तरवादी क्रमांक 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच मौजूद था। उन्होंने आगे कहा कि 2021 के अधिनियम की धारा 12 को उस उद्देश्य से अलग नहीं किया जा सकता है जिसके साथ 2021 के अधिनियम को अधिनियमित किया गया था और साथ ही अधिनियम की मौलिक संरचना और 2021 के अधिनियम को उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा संचालित और प्रबंधित अस्पताल को प्राप्त करने के लिए गंभीर उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था, उन छात्रों के हित में जो कॉलेज के साथ अपना चिकित्सा डिग्री पाठ्यक्रम चला रहे थे और साथ ही उन रोगियों के लिए भी जो उक्त अस्पताल में उपचार प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि अधिग्रहण केवल चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कचंदूर, दुर्ग की संपत्ति, अधिकारों और हितों का था, न कि निजी कंपनी की किसी भी स्थिति या भविष्य की देनदारियों का, जो पहले उक्त अस्पताल के प्रशासन और नियंत्रण का प्रबंधन कर रही थी, क्योंकि 2021 के अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि किसी अन्य कानून या किसी निर्णय और डिक्री या किसी अनुबंध या अन्य दस्तावेज या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, निजी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत थी, अस्पताल की सभी चल और अचल संपत्तियों का प्रशासन, नियंत्रण और कब्जा सरकार को सौंप देगी, और धारा 3 केवल अस्पताल के प्रशासन, नियंत्रण और कब्जे के हस्तांतरण तक सीमित थी जो पहले निजी कंपनी द्वारा प्रबंधित की जा रही थी और किसी अन्य संपत्ति/व्यवसाय/गतिविधि को नहीं छू रही थी जो उक्त निजी लिमिटेड कंपनी अर्थात् उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा की जा रही थी। विद्वान राज्य के अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता, जो उत्तरवादी क्रमांक 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत कर्मचारी होने का आरोप लगाते हैं, उन्हें उत्तरवादी क्रमांक 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में अपनी न्यायिक स्थिति का आनंद लेना जारी रहेगा क्योंकि 2021 का अधिनियम किसी भी तरह से स्वामी-सेवक संबंध के बीच हस्तक्षेप और हस्तक्षेप नहीं करता था जो याचिकाकर्ताओं के उत्तरवादी क्रमांक 3 कंपनी के साथ हो सकता था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करेंगे कि 2021 के अधिनियम की धारा 12 स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं है और इसे भारत के संविधान के प्रावधानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धारा 12 को 'स्पष्ट मनमानेपन' से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है ताकि किसी विधान से जुड़ी वैधता की धारणा को हटाया जा सके और 2021 के अधिनियम को लागू करते समय याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर देने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, 2021 के अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत है। भारत के संविधान के प्रावधान और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के साथ-साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफ. एफ. के तहत किसी भी याचिकाकर्ता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। इस प्रकार, रिट याचिका खारिज किए जाने के योग्य है।



7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और ऊपर दिए गए उनके प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख को भी अत्यंत सावधानी से परिशीलन किया है।

8. विधानमंडल के किसी अधिनियम को अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रख्यात न्यायविद केल्सन के न्यायशास्त्र के सिद्धांत से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक देश में, कानूनी मानदंडों का एक पदानुक्रम होता है जिसे "ग्रंडनोर्म्स" (बुनियादी मानदंड) के रूप में जाना जाता है। भारत में, पदानुक्रम में भारतीय संविधान में कठोर मानदंड इस प्रकार हैं:

(i) भारत का संविधान,

(ii) सांविधिक विधि जो या तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि हो सकती है।

(ग) प्रत्यायोजित विधान, जो संविधि के तहत बनाए गए नियमों, संविधि के तहत बनाए गए विनियमन आदि के रूप में हो सकता है;

(iv) विशुद्ध रूप से कार्यकारी आदेश जो किसी कानून के तहत नहीं किया गया हो।

9. इस सिद्धांत को निर्धारित करने वाला पहला निर्णय कि न्यायालय के पास एक कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है, मार्बरी बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का प्रसिद्ध निर्णय था। मैडिसन 5. इसके बाद भारत सहित अधिकांश देशों में उक्त सिद्धांतों का पालन किया गया है।

10. विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि कानून/नियम/विनियमन को असंवैधानिक/अमान्य/अवैध घोषित करने की शक्ति का उपयोग कैसे और कब किया जाना चाहिए। वेस्ट वर्जीनिया बनाम में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट। बार्नेट 6 ने माना कि चूंकि यह शक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पूर्ण खेल को रोकती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इसका प्रयोग कठोर आत्म-संयम के साथ किया जाना चाहिए।

11. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और उस पर हमला करने वाले व्यक्ति पर हमेशा यह दिखाने का भार होता है कि संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। हमारे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चरणजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य 7 के मामले में उपरोक्त सिद्धांत को अपनाया है और इसे इस प्रकार माना है:

10. प्रथम दृष्टया यह तर्क उचित प्रतीत होता है, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है और इसकी जांच करते समय दो सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा: (1) कि एक कानून संवैधानिक हो सकता है, भले ही वह किसी एक व्यक्ति से संबंधित हो, उन मामलों में जहां कुछ विशेष परिस्थितियों या कारणों के कारण जो उस पर लागू होते हैं और दूसरों पर लागू नहीं होते हैं, उस एक व्यक्ति को अपने आप में एक वर्ग के रूप में माना जा सकता है; (2) यह अमेरिकी न्यायालयों का स्वीकृत सिद्धांत है, जिसे मैं सिद्धांत रूप में अच्छी तरह से स्थापित मानता हूं, कि अनुमान हमेशा अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में होता है, और जो इस पर हमला करता है, उस



पर यह दिखाने का भार होता है कि संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। इस अंतिम सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख मिडलटन बनाम टेक्सास पावर एंड लाइट कंपनी, (248 यू.एस. 152 और 157) में मिलता है, जिसमें प्रासंगिक अंश इस प्रकार है: "यह माना जाना चाहिए कि एक विधायिका अपने लोगों की जरूरतों को समझती है और सही ढंग से समझती है, कि उसके कानून अनुभव द्वारा प्रकट की गई समस्याओं के लिए निर्देशित हैं और उसके भेदभाव पर्याप्त आधारों पर आधारित हैं।"

12. "यूट रेस मैगिस वैलेट क्वाम पेरेट" एक कहावत है जिसका अर्थ है कि किसी चीज का प्रभावी होना उसके शून्य होने से बेहतर है। यह इस सिद्धांत का अनुप्रयोग है कि न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता पर निर्णय देते समय संवैधानिकता के पक्ष में अनुमान लगाते हैं और ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता देते हैं जो कानून को विधानमंडल की क्षमता के भीतर रखती है।

13. कलकत्ता कॉरपोरेशन बनाम लिबर्टी सिनेमा 8 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने माना है कि किसी कानून को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि वह वैध हो और यदि संभव हो तो विपरीत स्थिति की ओर ले जाने वाली व्याख्या से बचा जाना चाहिए, इसे पूरी तरह से वैधानिक रूप से निर्मित किया जाना चाहिए।

14. गुजरात राज्य बनाम के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का प्रस्ताव भी ऐसा ही है। अर. ए. मेहता 9 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कानून का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि इसे व्यवहार्य बनाया जा सके और कानूनी सिद्धांत को ध्यान में रखा जा सके। " इसे निम्नानुसार देखा गया:

"98. वैधानिक प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव देने के उद्देश्य से उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का सहारा लिया जा सकता है, और अदालतों को यह बताना चाहिए कि कानून को अमान्य करने के बजाय कानून का क्या अर्थ होना चाहिए, क्योंकि कानून संचालन के लिए हैं और अयोग्य नहीं हैं। अदालतों को किसी कानून को अव्यवहारिक घोषित करने से बचना चाहिए। व्याख्या के नियमों के लिए आवश्यक है कि ऐसा निर्माण जो कानून के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है, पक्षों के हितों की रक्षा करता है और उपचार को जीवित रखता है, उसे कानून के पाठ और संदर्भ को देखते हुए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्माण को कानून के उद्देश्य को बढ़ावा देना चाहिए और उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया है और इसके उद्देश्य को समाप्त नहीं करना चाहिए।" अदालतें किसी भी निर्माण के खिलाफ दृढ़ता से झुकती हैं जो एक कानून को निरर्थकता में बदल देता है। कानून के प्रावधान का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि इसे प्रभावी और प्रभावी बनाया जा सके।" न्यायालय को एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए जिसके लिए कानून को अधिनियमित किया गया था क्योंकि कानून का उद्देश्य स्वयं न्यायालयों को अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करता है क्योंकि वे अधिनियम के सही अर्थ की व्याख्या करते हैं और इस प्रकार विधायी निरर्थकता को खारिज किया जाना चाहिए। एक कानून का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम



स्वयं एक मृत पत्र न बन जाए और विधायिका का स्पष्ट इरादा तब तक विफल न हो जाए जब तक कि यह उपयोग में पूर्ण रूप से जटिल होने के मामले की ओर न ले जाए। अदालत को एक ऐसा निर्माण अपनाना चाहिए जो शरारत को दबाता है और उपचार को आगे बढ़ाता है और "निरंतरता के लिए सूक्ष्म आविष्कारों और टालमटोल को दबाने के लिए। शरारत, और निजी सामान के पक्ष में, और बल देने के लिए और इलाज और उपचार के लिए जीवन, अधिनियम के निर्माताओं के सच्चे इरादे के अनुसार, प्रो बोनो पब्लिक "। न्यायालय को अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को इस कारण से प्रभावी बनाना चाहिए कि विधायिका को एक उचित कानून अधिनियमित करने के लिए माना जाता है।"

15. एक कानून का अर्थ इस तरह से लगाया जाता है कि इसे "यू. टी. आर. एस. मैजिस वैंलेट क्वाम पेरेत" में व्यक्त सिद्धांत पर प्रभावी और प्रभावी बनाया जा सके। इसलिए, एक धारणा है कि विधानमंडल करता है। यह स्थापित करने का अधिकार क्षेत्र और बोझ नहीं है कि अधिनियम विधानमंडल की क्षमता के भीतर नहीं है या यह कि यह अन्य संवैधानिक जनादेशों का उल्लंघन करता है, जैसे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित, यह हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो चुनौती देता है। वायर्स। (द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत देखें)

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह, 12 वां संस्करण, पृष्ठ 592)

16. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून को हल्के में असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को किसी भी संदेह से परे यह ठहराने में सक्षम होना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन इतना स्पष्ट था कि चुनौती के तहत विधायी प्रावधान खड़े नहीं हो सकते।

17. इसके बाद, शायरा बानो (पूर्वोक्त) में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना कि अगर कोई कानून स्पष्ट रूप से मनमाना है और स्पष्ट मनमानी कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नकारने का आधार है तो उसे रद्द किया जा सकता है। उनके माननीय सदस्यों ने इस प्रकार टिप्पणी की है: -

"101. यह ध्यान देने योग्य है कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ 10 में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि अधीनस्थ कानून को पूर्ण कानून के खिलाफ चुनौती के लिए उपलब्ध किसी भी आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह मामला होने के नाते, अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती के इस आधार पर दो प्रकार के कानूनों के बीच कोई तर्कसंगत अंतर नहीं है। इसलिए, जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित किया गया है, स्पष्ट मनमानी का परीक्षण अनुच्छेद 14 के तहत अमान्य कानून के साथ-साथ अधीनस्थ कानून पर भी लागू होगा। इसलिए, स्पष्ट मनमानी विधायिका द्वारा मनमाने ढंग से, तर्कहीन रूप से और/या पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत के बिना की गई कोई चीज होनी चाहिए। साथ ही, जब कुछ ऐसा किया जाता है जो अत्यधिक और अनुपातहीन होता है, तो ऐसा कानून स्पष्ट रूप से मनमाना होगा। इसलिए, हमारा मानना है कि जैसा कि हमने ऊपर बताया है, स्पष्ट मनमानी के अर्थ में मनमानी अनुच्छेद 14 के तहत कानून को नकारने पर भी लागू होगी।

{W.P.(S)No.1088/2022}

18. इसके बाद, हाल ही में, डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य 11 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि न्यायिक समीक्षा विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के असंवैधानिक प्रयोग को रोकने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है: -

"68. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न्यायपालिका की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के उपर्युक्त दो अंग यानी विधायिका और कार्यपालिका संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करें। न्यायिक समीक्षा विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के असंवैधानिक प्रयोग को रोकने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। इस न्यायालय की भूमिका इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या विधायिका या कार्यपालिका ने संविधान के तहत सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के भीतर काम किया है। हालांकि, ऐसा करते समय, न्यायालय को अपनी स्वयं-निर्धारित सीमाओं के भीतर रहना चाहिए।" इसके बाद, बिनाय विश्वम बनाम भारत संघ और अन्य 12 के मामले में अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए और अपने पहले के फैसलों की समीक्षा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बी.आर. गवई, जे. के माध्यम से कहा कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून को हल्के में असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है, और निम्नानुसार टिप्पणी की गई है: -

"70. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून को हल्के में असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, न्यायालय को किसी भी संदेह से परे यह ठहराने में सक्षम होना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन इतना स्पष्ट था कि चुनौती के तहत विधायी प्रावधान खड़ा नहीं हो सकता। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक संवैधानिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन नहीं होता, तब तक संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को खराब घोषित नहीं किया जा सकता है।

71. इस न्यायालय का यह सुसंगत दृष्टिकोण रहा है कि विधायी अधिनियम को केवल दो आधारों पर निरस्त किया जा सकता है। पहला, कि उपर्युक्त विधायिका के पास कानून बनाने की क्षमता नहीं है; और दूसरा, यह कि यह संविधान के भाग III या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधानों में उल्लिखित किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम कर देता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी अधिनियम को केवल यह कहकर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि यह मनमाना या अनुचित है। किसी अधिनियम को अमान्य करने से पहले किसी न किसी संवैधानिक दुर्बलता का पता लगाना पड़ता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संसद और विधानसभाएँ, जो जनता के प्रतिनिधियों से बनी हैं, उन्हें लोगों की जरूरतों और उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, के बारे में पता होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। अदालत उनके विवेक पर फैसले में नहीं बैठ सकती।



{W.P.(S)No.1088/2022}

72. इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधानमंडल के किसी अधिनियम या अधिनियम के किसी प्रावधान को अमान्य घोषित करने के लिए केवल एक ही आधार है, और वह यह है कि यदि यह स्पष्ट रूप से संविधान के किसी प्रावधान का इतने स्पष्ट तरीके से उल्लंघन करता है कि कोई संदेह नहीं छोड़ता है। यह भी माना गया है कि यदि दो विचार संभव हैं, एक कानून को संवैधानिक बनाता है और दूसरा इसे असंवैधानिक बनाता है, तो पहले वाले विचार को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को किसी कानून की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, भले ही इसके लिए एक तनावपूर्ण निर्माण देने या इसके दायरे को कम करने की आवश्यकता हो।

73. यह लगातार माना जाता रहा है कि संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है, और एक कानून जब तक मामला इतना स्पष्ट नहीं है कि संदेह से मुक्त है, तब तक इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि पारित किया गया कानून किसी विधायिका को प्रदत्त शक्ति के दायरे में है और उस शक्ति पर किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है, तो कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए जो भी अदालत इसके बारे में सोचे।

74. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विधायी अधिनियम के लिए चुनौती केवल तभी स्थायी होगी जब यह स्थापित हो जाए कि संबंधित विधायिका के पास उस विषय पर अधिनियमित करने की कोई विधायी क्षमता नहीं थी जिसे उसने अधिनियमित किया है। दूसरा आधार जिसके आधार पर वैधता को चुनौती दी जा सकती है, वह यह है कि ऐसा अधिनियम संविधान के भाग III या संविधान के किसी अन्य प्रावधान में निर्धारित किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। एक अन्य आधार जिसे इस न्यायालय के हाल के फैसलों से निकाला जा सकता है, वह यह है कि विधायी अधिनियम की वैधता को स्पष्ट मनमानेपन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। हालाँकि, ऐसा करते समय, यह याद रखना होगा कि अनुमान एक विधायी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में है।”

19. अब, किसी संसदीय या राज्य विधानमंडल को असंवैधानिक घोषित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपतियों द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के आलोक में मामले के तथ्यों पर लौटते हुए और इस तथ्य के आलोक में कि हमेशा संवैधानिकता के पक्ष में एक धारणा होती है और एक कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि मामला इतना स्पष्ट न हो कि संदेह से मुक्त हो, 2021 के अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों और कारणों पर ध्यान देना उचित होगा। 2021 के अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों और कारणों को छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है अर्थात् चूंअर्थात् मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति प्राप्त कर ली है।



{W.P.(S)No.1088/2022}

राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद और छात्र पहले से ही अध्ययन कर रहे हैं और कंपनी ने राज्य सरकार से मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया है, इसलिए, सार्वजनिक हित में, वित्तीय बाधाओं को देखते हुए, चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कचंदूर, जिला दुर्ग का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है। उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्नानुसार है:—

20. इसके बाद, राज्य ने 3-9-2021 से प्रभावी 2021 का अधिनियम लागू किया है। इस प्रकार, 2021 के अधिनियम को 35 के पृष्ठ 21 पर एक उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। उन छात्रों के हित में जो कॉलेज के साथ अपना चिकित्सा डिग्री पाठ्यक्रम चला रहे थे और उन रोगियों के हित में भी जो उक्त अस्पताल में उपचार प्राप्त कर रहे थे, केवल उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा संचालित और प्रबंधित अस्पताल का अधिग्रहण करना और अधिग्रहण केवल चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कचंदूर, जिला की संपत्ति, अधिकारों और हितों का था। दुर्ग और निजी कंपनी की अपनी किसी भी स्थायी या भविष्य की देनदारियों का नहीं, जो पहले उक्त अस्पताल के प्रशासन और नियंत्रण का प्रबंधन कर रही थी। इस स्तर पर, 2021 के अधिनियम की धारा 3 और 4 पर ध्यान देना उचित होगा जो निम्नानुसार है:—

“3. चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कचंदूर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ का नियंत्रण सरकार को सौंपना।—

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल, उस समय लागू किसी अन्य कानून में या किसी न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री में या किसी अनुबंध या अन्य दस्तावेज या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद। सं. 1997 का आई. डी. 1. इस अधिनियम के लागू होने के तुरंत बाद चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कचंदूर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ की सभी चल और अचल संपत्तियों का प्रशासन, नियंत्रण और कब्जा सरकार को सौंप देगा।

चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज

4. कचंदूर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ में निहित होगा

सरकार।—इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कचंदूर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ अपने संबद्ध अस्पताल और 35 के पृष्ठ 22 के साथ वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में या किसी न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय या डिक्री में या किसी अनुबंध या अन्य दस्तावेज में कुछ भी निहित होने के बावजूद।



{W.P.(S)No.1088/2022}

इसकी सभी परिसंपत्तियाँ, अधिकार और हित सरकार में निहित होंगे और इसके संबंध में किसी भी जीवित व्यक्ति या न्यायिक, व्यक्तियों, कंपनियों, शेयरधारकों या किसी अन्य संगठन का कोई भी अधिकार, अधिकार और हित समाप्त कर दिया जाएगा।”

21. 2021 के अधिनियम की धारा 3 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि किसी अन्य कानून या किसी निर्णय और डिक्री या किसी अनुबंध या अन्य दस्तावेज या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, निजी कंपनी अर्थात् उत्तरवादी क्रमांक 3, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत थी, अस्पताल की सभी चल और अचल संपत्तियों का प्रशासन, नियंत्रण और कब्जा सरकार को सौंप देगी। इस प्रकार, धारा 3 केवल चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कचंदूर, जिला दुर्ग के प्रशासन, नियंत्रण और कब्जे के हस्तांतरण तक सीमित थी, जिसका प्रबंधन पहले उत्तरवादी क्रमांक 3 निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा था और इसने किसी अन्य संपत्ति/व्यवसाय/गतिविधि में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप नहीं किया है जो उत्तरवादी क्रमांक 3 निजी लिमिटेड कंपनी द्वारा की जा रही थी। इसी तरह, 2021 के अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि मेडिकल कॉलेज में सभी परिसंपत्तियाँ, अधिकार और हित सरकार में निहित होंगे और इसके संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार, अधिकार और हित समाप्त हो जाएगा।

22. 2021 के अधिनियम की धारा 5, जो निहित करने का सामान्य प्रभाव है, निम्नानुसार बताती है:—

“5. वेस्टिंग का सामान्य प्रभाव।—(1) इसके बावजूद

35 के पृष्ठ 23 से संबंधित किसी अन्य कानून में या किसी न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय या डिक्री में या किसी अनुबंध या अन्य दस्तावेज में निहित कुछ भी।

इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले, धारा 4 के तहत सरकार में निहित प्रतिष्ठान को ऐसे प्रारंभ पर समाप्त कर दिया गया माना जाएगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ पर, किसी भी कंपनी, सोसायटी, जीवित व्यक्ति या न्यायिक या किसी भी संगठन द्वारा प्रशासन और प्रबंधन, जिसने धारा 4 के तहत सरकार में निहित इन प्रतिष्ठानों का प्रबंधन और प्रशासन किया था, को समाप्त माना जाएगा।”

23. 2021 के अधिनियम की धारा 5 में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि अस्पताल प्रतिष्ठान के साथ किसी भी व्यक्ति के सभी संबंधों को सरकार को अधिकार सौंपने के तुरंत बाद समाप्त कर दिया गया माना जाएगा। इस प्रकार, 2021 के अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 को एक साथ पढ़ने से पता चलेगा कि 2021 के अधिनियम का उद्देश्य केवल किसी भी अन्य गतिविधि में हस्तक्षेप किए बिना अस्पताल के सीमित अधिग्रहण से संबंधित था, जिसमें निजी कंपनी अधिग्रहण के समय लगी हुई थी और अस्पताल प्रतिष्ठान को अनुबंध या अन्यथा सभी संबंधों से अलग कर दिया गया था और यह अधिग्रहण की तारीख से राज्य सरकार के पास निहित था। इस प्रकार, निजी कंपनी से संबंधित



{W.P.(S)No.1088/2022}

याचिकाकर्ताओं सहित किसी भी व्यक्ति के संबंध, अधिकार, ब्याज, दावे आदि निजी कंपनी के खिलाफ खड़े होंगे और यह निजी कंपनी की जिम्मेदारी होगी—उत्तरवादी क्रमांक 3 यहाँ उक्त दावों आदि को पूरा करने के लिए, यदि कोई हो, जो 2021 के अधिनियम की धारा 9 (2) से स्पष्ट है।

24. 2021 के अधिनियम की धारा 6 में राशि के भुगतान का प्रावधान है। अधिग्रहण के कारण कंपनी को देय और धारा 8 एक विशेष अधिकारी द्वारा की जाने वाली चल और अचल संपत्ति के मूल्यांकन का प्रावधान करती है। 2021 के अधिनियम की धारा 8 (3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि सरकार में अधिकार निहित करने के अनुसरण में सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई अन्य धन देय नहीं होगा। धारा 9 "देनदारियों के लिए सरकार द्वारा कोई भुगतान नहीं" से संबंधित है और धारा 9 (1) में अस्पताल को सभी बाधाओं से मुक्त सरकार को सौंपने का प्रावधान है और यह भी प्रावधान है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को कंपनी के किसी भी दायित्व के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। धारा 12, जो "चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों का सरकारी सेवा पर कोई दावा नहीं है" से संबंधित है और जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती देने की मांग की गई है, निम्नानुसार बताती है:-

"12. चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों का सरकार पर कोई दावा नहीं होगा

सेवा करते हैं।—(1) व्यक्ति, जो चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कचंदूर दुर्ग, छत्तीसगढ़ या इसके किसी भी संबद्ध अस्पताल या प्रतिष्ठान में कार्यरत था, चाहे वह स्थायी कर्मचारी के रूप में हो, अनुबंध या आउटसोर्स पर, धारा 4 के तहत सरकार में निहित होने से पहले, चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कचंदूर दुर्ग, छत्तीसगढ़ या सरकार के तहत सेवा के लिए कोई दावा नहीं होगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के किसी भी वेतन या किसी अन्य देय राशि के भुगतान के लिए सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति जिन्हें चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के मालिकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, 35 का पृष्ठ 25

धारा 4 के तहत सरकार में निहित होने से पहले उसे चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के मालिकों से राशि की वसूली का अधिकार होगा, जो धारा 4 के तहत सरकार में निहित होने से पहले इसके मालिक हैं।"

25. 2021 के अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के एक केंद्रित अवलोकन से पता चलेगा कि सभी व्यक्ति जो अनुबंध या आउटसोर्स पर स्थायी कर्मचारी थे, धारा 4 के आधार पर अस्पताल

{W.P.(S)No.1088/2022}

को सरकार में सौंपने से पहले मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे, उनका चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कचंदूर, दुर्ग या सरकार के तहत सेवा के लिए कोई दावा नहीं होगा जो अधिनियम के उद्देश्य, इरादे और उद्देश्य के अनुरूप है। धारा 12 की उप-धारा (2) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति के किसी भी वेतन या किसी अन्य देय राशि के भुगतान के लिए सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा। उप-धारा (3) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति जो चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के मालिकों द्वारा धारा 4 के तहत सरकार में निहित होने से पहले प्रदान की गई सेवाओं के लिए अवैतनिक रहते हैं, उन्हें उक्त कॉलेज के मालिकों से राशि की वसूली का अधिकार होगा जो धारा 4 के तहत सरकार में निहित होने से पहले मालिक हैं। इस प्रकार, 2021 के अधिनियम की धारा 12 प्रकृति में स्पष्ट है कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकार, हित, संपत्ति, प्रशासन, नियंत्रण और कब्जा सरकार को सौंपने पर, जो व्यक्ति अस्पताल में कार्यरत थे, उन्हें कॉलेज में या सरकार के तहत सेवा के लिए कोई दावा नहीं होगा, हालांकि निहित करने की तारीख से पहले मेडिकल कॉलेज के साथ काम करने वाले कर्मचारी, जिन्हें पहले उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा नियुक्त किया गया था, उनके अधिकार उत्तरवादी क्रमांक 3 के खिलाफ सुरक्षित होंगे। इसलिए, धारा 12 (1) के आधार पर यह निर्दिष्ट किया गया है कि मेडिकल कॉलेज, जिसे उत्तरवादी क्रमांक 3 कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है, के साथ पहले काम करने वाले व्यक्तियों को सरकार के साथ अधिग्रहण पर कोई अधिकार, दावा या ब्याज नहीं होगा और वे 2021 के अधिनियम की धारा 9 (2) के आधार पर मेडिकल कॉलेज के मालिक के लिए अपने अधिकार को लागू कर सकते हैं। इस प्रकार, राज्य द्वारा अस्पताल का अधिग्रहण किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था और उनके अधिकार, ब्याज या अधिकार धारा 12 की उप-धारा (3) के आधार पर सुरक्षित हैं।

26. इस स्तर पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से और उनकी ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाई गई दलीलों पर विचार किया जाना चाहिए।

27. याचिकाकर्ताओं की ओर से किया गया पहला निवेदन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफ. एफ. की प्रयोज्यता पर आधारित है। यह तर्क दिया गया है कि 2021 के अधिनियम की धारा 12 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफ. एफ. का उल्लंघन करती है, जो कि केंद्रीय अधिनियम है और 2021 के अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की ओर से कोई मंजूरी नहीं है, इसलिए 2021 के अधिनियम की धारा 12 असंवैधानिक और अमान्य है। यह ध्यान देना उचित होगा कि याचिकाकर्ताओं और उत्तरवादी क्रमांक 3 के अधिकार अभी भी कंपनी के अधिकार में बने हुए हैं। के बीच स्वामी और सेवक का संबंध उत्तरवादी क्रमांक 3 और याचिकाकर्ताओं ने 2021 के अधिनियम की धारा 12 के आधार पर काम करना बंद नहीं किया और इस तरह, यह कहना गलत है कि 2021 के अधिनियम की धारा 12 किसी भी तरह से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफ. एफ. का उल्लंघन करती है या 2021 के अधिनियम की धारा 12 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रतिकूल है। धारा 12 याचिकाकर्ताओं और उत्तरवादी क्रमांक 3 कंपनी के बीच के अधिकारों और देनदारियों से स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता हमेशा अपने रोजगार की शर्तों को नियंत्रित करने वाले किसी भी वैधानिक प्रावधान के किसी भी उल्लंघन या उल्लंघन के कारण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ अपने वैधानिक अधिकारों को लागू करने, निष्पादित करने और सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस

{W.P.(S)No.1088/2022}

प्रकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफ. एफ. पर आधारित याचिका खारिज की जानी चाहिए।

28. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंघवी ने तर्क दिया कि 2021 के अधिनियम की धारा 12 में स्पष्ट मनमानी है और उन्होंने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए शायरा बानो (पूर्वोक्त) और अखिल भारतीय कोयला कामगार यूनियन (पूर्वोक्त) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए श्रमिकों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया।

29. अखिल भारतीय कोयला कामगार यूनियन (पूर्वोक्त) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कामगारों में, एक कोलियरी को कोकिंग कोल माइंस (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1971 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जो 17-10-1971 को प्रभावी हुआ और कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत 1-5-1972 से कोलियरी का राष्ट्रीयकरण हो गया। कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में धारा 17 के तहत एक प्रावधान है जो कामगारों और उनकी सेवा में निरंतरता से संबंधित एक विशेष प्रावधान था, जिसमें प्रावधान था कि जो कामगार खदान या संयंत्र में कार्यरत था, वह नियत तिथि से केंद्र सरकार का कर्मचारी बन जाएगा। कोलियरी में काम करने वाले 111 कर्मचारियों को प्रबंधन ने 1971 में काम से निकाल दिया था और 9-6-1997 को उन्हें सेवा से काफी हद तक हटा दिया था। ऐसे कर्मचारियों द्वारा उठाया गया दावा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के खिलाफ था और वे छंटनी के आदेश को चुनौती दे रहे थे। चूंकि कोयला खदान राष्ट्रीयकृत थी, इसलिए मुद्दा यह था कि क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोलियरी का उत्तराधिकारी होगा। उस संदर्भ में, उक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियों को उक्त परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए और जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, उनका कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

30. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने वर्कमैन बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं अन्य 13 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया। उक्त मामले में, राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोलियरी के प्रबंधन ने अक्टूबर, 1969 में 40 श्रमिकों को बर्खास्त कर दिया था और एक औद्योगिक विवाद उठाया गया था। तत्पश्चात, 1-5-1972 को कोलियरी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न उठा कि क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मूल कोलियरी के राष्ट्रीयकरण के बाद से उत्तरवर्ती कंपनी होगी। कोकिंग कोल माइंस राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 में धारा 17 शामिल है, जो स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व सेवा में रहे श्रमिक केंद्र सरकार के कर्मचारी बन जाएंगे। इसलिए, उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियाँ तथ्यात्मक रूप से विभिन्न कानून के प्रावधानों पर आधारित हैं और इस प्रकार, उनमें की गई टिप्पणियाँ वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि 2021 के अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसे कोकिंग कोल माइंस राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 में विद्यमान धारा 17 के समान कहा जा सके। इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा वर्कमैन बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य (पूर्वोक्त) में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अलग है और वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।



{W.P.(S)No.1088/2022}

31. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने एन. टी. सी. के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। (दक्षिण महाराष्ट्र) लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ और अन्य 14 में उक्त मामले में, कपड़ा उपक्रम (प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1983 के तहत कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की गई थी और उस अधिनियम की धारा 13 ने संरक्षक के साथ रोजगार के अनुबंध को समाप्त करने की शक्ति दी थी, जिसका अर्थ है कि मिलों के साथ अनुबंध रोजगार में कर्मचारी राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कर्मचारी बन जाएंगे और यदि अभिरक्षक की राय थी कि नौकरी को समाप्त किया जाए, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र था। उक्त अधिनियम में धारा 3 (4) के लिए भी प्रावधान किया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रबंधन के प्रभारी सभी व्यक्तियों, जिनमें वस्त्र कंपनी के निदेशक, प्रबंधक या किसी अन्य प्रबंधकीय कर्मी के रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति शामिल हैं, को नियत दिन पर अपने पद खाली करने वाला माना जाएगा। उक्त प्रावधान सेवा की समाप्ति के लिए प्रदान किया गया था। वर्तमान मामले में, 2021 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करता हो। कंपनी-उत्तरवादी क्रमांक 3 और याचिकाकर्ताओं के बीच स्वामी और सेवक का न्यायिक संबंध मौजूद है और बना रहेगा। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्य विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट निर्णय से पूरी तरह से अलग और अलग हैं और इसलिए, उक्त निर्णय में निर्धारित कानून का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

32. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जिस अगले निर्णय का अवलंब लिया गया है, वह है गुरमेल सिंह (पूर्वोक्त)। उक्त मामले में, पंजाब राज्य के लोक निर्माण विभाग की सिंचाई शाखा को पंजाब राज्य नलकूप निगम को हस्तांतरित किया जा रहा था, जो कि पंजाब राज्य के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाली कंपनी थी और परिणामस्वरूप, एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत लोक निर्माण विभाग की सिंचाई शाखा में नलकूप सर्कल के लिए स्वीकृत पदों की अब आवश्यकता नहीं है और पदों को समाप्त कर दिया गया। उक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्णय दिया गया था, जिसमें सिंचाई शाखा में पहले काम कर रहे कर्मचारियों के अधिकारों पर विचार किया जा रहा था। सरकारी विभाग के कर्मचारियों को निगम में भेजने की मांग की जा रही थी और इस प्रकार, उक्त परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय के पैराग्राफ 16 में टिप्पणियां की जा रही थीं, जो वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के लिए कोई लाभ नहीं है। तदनुसार, गुरमेल सिंह (पूर्वोक्त) में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा लिया गया निर्णय स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है और वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग है।

33. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के.आई. शेफर्ड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 15 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा करेंगे। उक्त मामले में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत तीन निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में समाहित करने की मांग की गई थी। उस परिप्रेक्ष्य में, प्रश्न कर्मचारियों के अधिकारों के संबंध में था। संपूर्ण बैंक को उसके संपूर्ण साजो-सामान के साथ विलय किया जा रहा था और उस संदर्भ में उनके माननीय न्यायाधीशों ने माना कि नियोक्ता यानी निजी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों में समाहित हो गया है और इस प्रकार उसने अपनी पहचान खो दी है, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंक हित-उत्तराधिकारी बन गए हैं और निजी बैंक और कर्मचारियों के बीच स्वामी और सेवक का कानूनी संबंध समामेलन के कारण काफी हद तक बदल गया है। इस मामले में, निजी कंपनी अभी भी अस्तित्व में है और यहां तक कि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 3 के बीच मालिक और नौकर का कानूनी संबंध अभी भी मौजूद है, जो 2021 के अधिनियम के लागू होने से समाप्त नहीं हुआ है। इस



{W.P.(S)No.1088/2022}

प्रकार, के.आई. शेफर्ड (पूर्वोक्त) में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा लिया गया निर्णय भी लागू नहीं होता है और वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

34. अंत में, याचिकाकर्ताओं की ओर से शायरा बानो (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया है। यह पहले ही माना जा चुका है कि किसी कानून को स्पष्ट मनमानी के आधार पर अधिकारहीन घोषित किया जा सकता है, लेकिन 2021 के अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के केंद्रित अवलोकन और कानूनी विश्लेषण पर, हमारा विचार है कि धारा 12 स्पष्ट मनमानी के दोष से ग्रस्त नहीं है और इसलिए, शायरा बानो (पूर्वोक्त) में निर्धारित सिद्धांतों से याचिकाकर्ताओं को कोई मदद नहीं मिलेगी।

35. इस प्रकार, 2021 के अधिनियम की धारा 12 पूरी तरह से 2021 के अधिनियम के उद्देश्य के साथ-साथ 2021 के अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 8 और 9 के अनुरूप है और रिकॉर्ड के अनुसार कोई स्पष्ट मनमानी नहीं है जो 2021 के अधिनियम की धारा 12 को अमान्य कर दे। याचिकाकर्ताओं पर यह प्रदर्शित करने का दायित्व है कि 2021 के अधिनियम की धारा 12 'स्पष्ट मनमानी' से ग्रस्त है, जिसका आरोप लगाने और प्रदर्शित करने में वे विफल रहे और इस प्रकार, धारा 12 को भारत के संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध घोषित नहीं किया जा सकता। तदनुसार ऐसा माना जाता है।

36. याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाया गया अगला आधार यह है कि 2021 के अधिनियम की धारा 12 मनमाना और अनुचित है, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क है कि जब किसी कानून का प्रभाव किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के भी उसके रोजगार से हटाने का होता है, तो ऐसे कानून को स्पष्ट रूप से मनमाना माना जाना चाहिए। इसी तरह, यदि कोई कानून सुनवाई का प्रावधान किए बिना किसी व्यक्ति पर कोई नागरिक परिणाम डालता है, तो कानून को खराब माना जाना चाहिए और ओल्गा टेलिस (पूर्वोक्त) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवलंब लिया जाना चाहिए।

37. ओल्गा टेलिस (पूर्वोक्त) में निर्धारित कानून के सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त मामले में उनके माननीय न्यायाधीश उस प्रतिबंध पर विचार कर रहे थे जिसके अनुसार नगर आयुक्त बिना किसी नोटिस के फुटपाथ पर किसी भी संरचना को हटा सकते हैं, और माना कि अनुचितता कानून और प्रक्रिया दोनों को ही दूषित करेगी, जो कि यहां मामला नहीं है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी नंबर 3 कंपनी और याचिकाकर्ताओं के बीच स्वामी और नौकर का कानूनी संबंध अभी भी मौजूद है और इसलिए ओल्गा टेलिस (पूर्वोक्त) में निर्धारित कानून के सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे।



{W.P.(S)No.1088/2022}

38. अन्यथा भी, 2021 का अधिनियम एक विधायी अधिनियम है जो विशुद्ध रूप से एक विधायी कार्य है और जिसका निर्वहन राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया है। यह सामान्य कानून है जो प्राकृतिक सिद्धांत न्याय विधायी कार्रवाई पर लागू नहीं होता है। उनके प्रभुत्व उच्चतम न्यायालय ने सुंदरजस कन्या लाल भाटीजा और अन्य बनाम कलेक्टर, ठाणे, महाराष्ट्र और अन्य के मामले में 16 स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया कि प्राकृतिक न्याय के नियम विधायी कार्रवाई प्राथमिक या अधीनस्थ पर लागू नहीं होते हैं, और निम्नलिखित रूप में देखा गया है:

“28. ... प्राकृतिक न्याय के नियम विधायी कार्रवाई पूर्ण या अधीनस्थ पर लागू नहीं होते हैं। सुनवाई की प्रक्रियात्मक आवश्यकता विधायी शक्तियों के प्रयोग में निहित नहीं है जब तक कि सुनवाई स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं की गई थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सरकार को यह सुनने का निर्देश देने में गलती की कि पक्ष कानून के तहत सुनवाई के हकदार नहीं हैं।”

39. इसी प्रकार, पंजाब राज्य बनाम तहल सिंह के मामले में और अन्य 17, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि प्रयोग की गई शक्ति विधायी स्वरूप की है, तो प्राकृतिक न्याय के नियम लागू नहीं होंगे और आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधायिका के विधायी अधिनियम के मामले में, प्राकृतिक न्याय के शासन के अनुप्रयोग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यह उनके प्रभुत्वों द्वारा निम्नानुसार मनाया गया है:

“9. एक बार जब यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति क्रमशः विधायी है, तो सवाल यह उठता है कि क्या राज्य सरकार को उस शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक न्याय के नियम का पालन करने की आवश्यकता है। यह लगभग तय कानून है कि चरित्र में विधायी कार्य-प्राथमिक या अधीनस्थ, प्राकृतिक न्याय के शासन के अधीन नहीं है। विधायिका के विधायी अधिनियम के मामले में, प्राकृतिक न्याय के शासन को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।.....”

40. इससे हम इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि 2021 के अधिनियम की धारा 12 न तो स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है और न ही यह है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है और यह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफ. एफ. का भी उल्लंघन नहीं है। धारा 12 को विधायी कार्य के प्रयोग में अधिनियमित किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत विधायी कार्रवाई पूर्ण या अधीनस्थ पर लागू नहीं होते हैं।

41. उपरोक्त चर्चा के परिणाम और परिणाम के रूप में, 2021 के अधिनियम की धारा 12 को अधिकार क्षेत्र के भीतर माना जाता है और यह असंवैधानिक नहीं है, और धारा 12 की संवैधानिक



{W.P.(S)No.1088/2022}

वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है और तदनुसार पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

सही /-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही /-
(अरविंद सिंह चंदेल)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

